



HARYANA STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY



THE MAINTENANCE AND WELFARE OF PARENTS AND SENIOR CITIZENS ACT, 2007

माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण, अधिनियम, 2007



PATRON-IN-CHIEF

Hon'ble Mr. Justice Krishna Murari
Chief Justice, High Court of Punjab and Haryana

EXECUTIVE CHAIRMAN

Hon'ble Mr. Justice Rajiv Sharma
Judge, High Court of Punjab and Haryana

MEMBER SECRETARY

Parmod Goyal
(District & Sessions Judge)

JOINT MEMBER SECRETARY

Man Pal Ramawat
(Chief Judicial Magistrate)

Published by :

HARYANA STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

Plot No.9, Sector - 14, Panchkula
Tel./Fax No. : 0172-2562309, Toll Free No.1800-180-2057
Website : www.hslsa.gov.in, E-mail : hslsa@hry.nic.in, hslsa.haryana@gmail.com

**THE MAINTENANCE AND WELFARE
OF PARENTS AND SENIOR CITIZENS
ACT, 2007**

DISCLAIMER

In this book, the contents and provisions of the Act have been simplified for the benefit of the user by using user-friendly language. This book does not in any way substitute The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 or its provisions. This book is in a series for spreading legal literacy amongst the masses, and is solely meant for spreading legal literacy.

Introduction:

Indian culture has always been respectful and supportive of elders. Elder abuse was never considered as a problem in India. It was always thought of as a western problem.

However, the rapid urbanization has been bringing changes in the social structure in India. Joint family system is breaking down. Traditional values have been declining considerably. A child used to learn at home in a joint family civic virtues of love, co-operation, obedience, tolerance, discipline and renouncement, which enabled the child to grow up as a good citizen. It is no longer happening.

Due to the said changing social structure in India, elderly in India no longer receive care and respect within families. Many of them silently suffer abuse at the hands of their progenies. Disrespect, neglect and physical and verbal abuse have become common features.

Longevity has increased. Elderly population is increasing in India. As per 2001 Census, total population of Senior Citizens (60+) was 7.7 crore, of which population of males and females was 3.8 crore and 3.9 crore, respectively.

Both the share and size of elderly population is increasing over time. From 5.6% in 1961 it is projected to rise to 12.4% of population by the year 2026. According to official population projections, the number of elderly persons will rise to approximately 140 million by 2021.

The well-being of senior citizens is mandated in the Constitution of India under Article 41. It says

“ The state shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement and in other cases of underserved want”.

Nowadays elderly are exposed to various kinds of problems such as lack of physical, social, emotional and financial support. To overcome such difficulties and to face new challenges, the Government of India, in consonance with Article 41 of the Constitution of India, has enacted The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 law in the fifty- eighth year of republic so as to provide maintenance and protection to parents and senior citizens.

1 What are the objectives of the Act?

- A) To set up appropriate mechanism to provide maintenance to the parents and senior citizens.
- B) Providing better medical facilities to senior citizens.
- C) Provide for protection of life and property of older persons.
- D) Setting up of old age home in every district.

2. Who is entitled to Maintenance under the Act?

- (a) Parents;
- (b) grand-parents; and
- (c) senior citizens

who are unable to maintain themselves from their own income and property.

(Parents include biological and adoptive parents and step fathers and step mothers.)

3. Who is senior citizen?

Senior citizen means any person

- a) Who is a citizen of India, and
- b) Who has attained the age of 60 years or above.

4. Whether parent below 60 years of age can claim maintenance under the Act?

Age is prescribed only for senior citizen. Parent below 60 years of age can claim maintenance under the Act.

5. What is the definition of Maintenance under the Act?

The "Maintenance" includes provision for food, clothing, residence and medical attendance and treatment.

6. Against whom the parent and grand parent can file an application for maintenance under the Act?

Parent or grandparent can file an application for maintenance against one or more of his children. Children include son, daughter, grandson and grand-daughter. Children does not include a minor.

7. Before which authority an application for maintenance can be filed?

The application for maintenance can be filed before the Tribunal which is headed by the Sub-Divisional Officer.

8. Can a childless senior citizen claim maintenance under the Act?

Yes, childless senior citizen can claim maintenance under the Act from the relative who:-

- (a) is not minor; and
- (b) is in possession of property of Senior Citizen; or
- (c) would inherit the property of senior citizen after his death.

9. Where the maintenance proceedings can be initiated?

Maintenance proceedings may be initiated against any child/children or relative in any district where:-

- (a) the parent or senior citizen lives; or
- (b) last lived; or
- (c) where the child/children or relative live.

10. Whether the application for Maintenance is to be filed by parent or senior citizen himself/herself before the Maintenance Tribunal?

Application for maintenance under the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 can be filed :

- (a) by a senior citizen or a parent as the case may be; or
- (b) If the senior citizen or parent is incapable of filing application by himself/herself then any person or organization (voluntarily association registered under the Societies Registration Act 1860) can be authorized to file the application for maintenance; or
- (c) Tribunal may take cognizance suo moto.

(Suo Moto refers to a situation wherein a judge acts without request by either party to the action before the court. Court acts of its own motion)

11. What Tribunal does after receiving an application?

Upon receipt of the application, the Tribunal would issue notices to the children, conduct hearings and take evidence. After that the Tribunal may order maintenance. Tribunal may also refer the case for reconciliation or

pass interim orders for maintenance.

12. Can parent or senior citizen claim maintenance under the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act and Chapter IX of the Code of Criminal Procedure simultaneously?

Parent or Senior citizen if entitled for maintenance under Code of Criminal Procedure and also under the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act can claim maintenance under either of those Acts. They cannot claim maintenance simultaneously under both the Acts.

13. Can copy of the order of maintenance be got free of cost?

As per section 11 of the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007, the copy of the order of maintenance and order regarding expenses of proceedings, as the case may be, is to be given to the parent or senior citizen without payment of any fee.

14. Is there any penal provision for enforcement of maintenance order of the Tribunal?

The Maintenance Order given by the Tribunal will have the same effect as the maintenance order passed under Section 125 of Cr. PC. This will include imprisonment upto one month for default of each month allowance , wholly or partly, and also issuance of warrant for levying the amount due, for every breach of order, in the manner provided for levying fines.

15. Is there any upper limit for maintenance allowance?

State Government may provide for the maximum maintenance allowance which may be given per month. In any case, maintenance allowance shall not exceed ten thousand rupees per month.

16. Can the Tribunal alter, cancel or vary the monthly allowance for the Maintenance?

The Maintenance Tribunal can alter the monthly allowance for maintenance:-

- (a) On proof of misrepresentation; or
- (b) On proof of mistake of fact; or
- (c) On proof of a change in the circumstances of any person receiving a monthly allowance.

The Maintenance Tribunal can cancel or vary the monthly allowance for maintenance in consequence of any decision of a competent civil court.

17. Can Senior Citizen or parent file an appeal, if aggrieved by the order of Tribunal?

Yes, Senior Citizen or parent, if aggrieved by an order of a Tribunal, may within sixty days from the date of order prefer an appeal to the Appellate Tribunal.

18. Within what time the appeal is to be decided by the Appellate Tribunal?

Section 16(5) of the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 provides that Appellate Tribunal shall make an endeavor to pronounce its order in writing within one month of the receipt of an appeal.

19. Whether abandonment of senior citizen is an offence?

Under Section 24, if anybody who is having the care or protection of a senior citizen leaves him/her in any place, with the intention of wholly abandoning him/her, such person shall be punishable under the Act with imprisonment of either three months or fine upto Rs. 5,000 or both. The offence would be cognizable and bailable.

20. Can Senior Citizen reclaim the property transferred by him/her?

Senior Citizen can file an application before the Tribunal for declaring the transfer of property as void. The Tribunal may declare the transfer as void if the following conditions exist:

- (a) Any property transferred by way of gift or otherwise by senior citizen after the commencement of this Act.
- (b) The said property is transferred subject to the condition that transferee shall provide the basic amenities and basic physical needs to the senior citizen.
- (c) The transferee refuses or fails to provide such amenities and physical needs.

Illustration:

Sohan is 62 years old. He transfers by way of gift his house to his nephew Sumit. The house is transferred by Sohan to Sumit after the commencement of

the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007. The said house is transferred by Sohan subject to the condition that Sumit shall provide the basic amenities and basic physical needs to him. However, after the transfer, Sumit refuses or fails to provide the basic amenities and basic physical needs to Sohan. In the said circumstance, Sohan can file an application before the Tribunal for declaring the said transfer in favour of Sumit as void. The Tribunal may declare the transfer as void, hence, Sohan can get back his house.

21. What is provided for medical care of senior citizens in the Act?

The Act provides that State Government shall ensure that, -

- the Government hospitals or hospitals funded fully or partially by the Government shall provide beds for all senior citizens as far as possible;
- separate queues be arranged for senior citizens;
- facility for treatment of chronic, terminal and degenerative diseases is expanded for senior citizens;
- research activities for chronic elderly diseases and ageing is expanded;
- there are earmarked facilities for geriatric patients in every district hospital duly headed by a medical officer with experience in geriatric care.

22 Are there provisions with regard to Old-age Homes?

- â Under the Act State government may establish at least one old age Home in each District for indigent senior citizens.
- â Such Old age Home must have capacity to accommodate a minimum of one hundred fifty senior citizens who are indigent.
- â State government shall also prescribe a scheme for maintenance of old age home, including the standards and services to be provided by them.

**माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का
भरण-पोषण एवं कल्याण,
अधिनियम, 2007**

अस्वीकरण

इस पुस्तक में, माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रावधानों का सरलीकरण, पाठकों के लाभ के लिए किया गया है।

यह पुस्तक, माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 का या उसके प्रावधानों का विकल्प नहीं है। अपितु, यह तो प्रयास की उस श्रंखला में एक और कड़ी है, जिसका एकमात्र प्रयोजन, जन-मानस में कानूनी जागरूकता का उत्तरोत्तर विकास है।

प्रस्तावना:—

भारत की संस्कृति में बुजुर्गों का सम्मान व उनकी सेवा, स्वभावजन्य है। बुजुर्गों के साथ दुर्व्यहार, भारतीय संस्कृति में अनदेखा रहा है। यह समस्या अधिकतर पाश्चात्य सभ्यता की ही मानी गई है।

प्राचीन भारत के गुरुकुलों व विद्यालयों में 'मातृ देवो भव' 'पितृ देवो भव' व 'आचार्य देवो भव', इन मन्त्रों का उद्घोष, प्रतिदिन सुना जाता था। परन्तु पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव व तीव्र गति के शहरीकरण की वजह से भारतीय समाज की संरचना में परिवर्तन आ रहे हैं। संयुक्त परिवार की सुखद व्यवस्था में दरारें पड़ रही हैं। संयुक्त परिवार में बच्चे सहज रूप से ही प्रेम, सहयोग, आज्ञाकारिता, सहिष्णुता, अनुशासन एवं त्याग जैसे आधारभूत जीवन-मूल्यों को सीख जाते थे व अच्छे नागरिक बनते थे। परन्तु अब ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हो रहा।

उपरोक्त परिवर्तन के कारण, भारत में बुजुर्गों को पहले जैसा सम्मान व यथोचित सेवा प्राप्त नहीं है। बहुत से बुजुर्ग, मूक दर्शक बनकर अपने बच्चों के हाथों दुर्व्यवहार सहन कर रहे हैं। बुजुर्गों का अनादर, उपेक्षा शारीरिक, मौखिक दुर्व्यवहार, एक सामान्य घटना हो गई है। उधर जीवन-प्रत्याशा के बढ़ने से वरिष्ठ नागरिकों की जन-संख्या भी बढ़ रही है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, भारत में वरिष्ठ नागरिकों की कुल संख्या 7.7 करोड़ है। इनमें से 3.8 करोड़ पुरुष एवं 3.9 करोड़ महिलाएँ हैं।

कालक्रम के साथ ही वृद्ध जनसंख्या का आकार बढ़ रहा है। ऐसी परिकल्पना है कि जो वृद्ध जनसंख्या 1961 में 5.6 प्रतिशत थी वह वर्ष 2026 तक 12.4 प्रतिशत हो जाएगी। सरकारी जनगणना के अनुसार वर्ष 2021 तक वृद्ध जनसंख्या लगभग 1.4 करोड़ हो जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों के हितार्थ, भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 में अनिवार्य प्रावधान है कि:—

'राज्य, अपने आर्थिक सामर्थ्य एवं विकास की परिसीमा के भीतर, वृद्धों के लोक-सहायता के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए, प्रभावी प्रावधान बनायेंगे।'

वर्तमान परिस्थिति में बुजुर्गों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक एवं आर्थिक सहारा ना मिलना। इस समस्या के समाधान एवं ऐसी नई चुनौतियों का सामना करने के लिए, भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 41 का पालन करते हुए, यह कानून बनाया। 'माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007', भारतीय गणतन्त्र के 58वें वर्ष में बना, ताकि माता-पिता व वरिष्ठ नागरिकों को यथोचित भरण-पोषण व सुरक्षा प्राप्त रहे।

1. इस अधिनियम के उद्देश्य क्या है ?

- A. एक उपयुक्त तन्त्र का निर्माण जो माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भरण-पोषण की व्यवस्था कर सके।
- B. वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करना।
- C. बुजुर्गों के जीवन और सम्पत्ति की पूर्ण सुरक्षा।
- D. प्रत्येक जिले में वृद्ध-निवासों की स्थापना करना।

2. अधिनियम 2007, के तहत, भरण-पोषण प्राप्त करने के हकदार कौन है ?

- a. माता-पिता
- b. दादी-दादा
- c. वरिष्ठ नागरिक

उपरोक्त श्रेणियों में जो भी अपनी आय और सम्पत्ति से अपना भरण-पोषण नहीं कर सकते, वे अधिनियम, 2007 के तहत भरण-पोषण का दावा कर सकते हैं। (माता-पिता की परिभाषा में जैविक, गोद व सौतेले, माता-पिता भी आते हैं)

3. वरिष्ठ नागरिक कौन हैं ?

वरिष्ठ नागरिक वे व्यक्ति हैं:-

- a. जो भारत के नागरिक हैं और
- b. जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं।

4. क्या 60 वर्ष से कम आयु के माता-पिता भी इस अधिनियम के तहत भरण-पोषण प्राप्त कर सकते हैं ?

आयु का यह मानक केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। 60 वर्ष से कम आयु के माता-पिता, इस अधिनियम के तहत भरण-पोषण का दावा कर सकते हैं।

5. अधिनियम, 2007 के तहत, भरण-पोषण की परिभाषा क्या है ?

'भरण-पोषण' के अन्तर्गत, भोजन, वस्त्र, आवास एवं चिकित्सा-ईलाज, आते हैं।

6. माता-पिता व दादी-दादा, इस अधिनियम के तहत, किसके खिलाफ, भरण-पोषण का दावा दायर कर सकते हैं ?

माता-पिता व दादी-दादा अपनी, एक या एक से अधिक, सन्तानों पर भरण-पोषण का दावा दायर कर सकते हैं।

‘सन्तान’ में पुत्र, पुत्री, पौत्र व पौत्री आते हैं, किन्तु अल्पव्यस्क नहीं आते।

7. किस अधिकरण के समक्ष, भरण—पोषण का दावा दायर हो सकता है?
भरण—पोषण का दावा अधिनियम के तहत गठित विशेष अधिकरण (Tribunal) के समक्ष डाला जाएगा, जिसका अध्यक्ष उप—खण्ड अधिकारी (SDO), होता है।

8. क्या निस्संतान वरिष्ठ नागरिक भी भरण—पोषण का दावा कर सकते हैं ?

जी हां, निस्संतान वरिष्ठ नागरिक, भरण—पोषण का दावा, अपने उस सम्बन्धी से कर सकते हैं जो:—

- अल्पव्यस्क (नाबालिग) नहीं है।
- वरिष्ठ नागरिक की सम्पत्ति पर काबिज है; या
- वरिष्ठ नागरिक की सम्पत्ति का वारिस है।

9. भरण—पोषण के दावे की कार्यवाही कहां प्रारम्भ करें ?

भरण—पोषण के दावे की कार्यवाही का प्रारम्भ किसी भी संतान या संबंधी के विरुद्ध, उस जिले में होगी जहां:—

- माता—पिता या वरिष्ठ नागरिक वर्तमान में निवास करते हैं; या
- पहले निवास किया है; या
- जहां पर सन्तान या संबंधी, निवास कर रहे हैं।

10. क्या भरण—पोषण अधिकरण के समक्ष, भरण—पोषण का दावा माता—पिता या वरिष्ठ नागरिक को स्वयं दायर करना होगा?

अधिनियम 2007 के अनुसार, भरण—पोषण का दावा निम्नलिखित के द्वारा दायर किया जा सकता है:—

- वरिष्ठ नागरिक या माता—पिता, स्वयं; या
- यदि वरिष्ठ नागरिक या माता—पिता, दावा दायर करने में असमर्थ हैं तो वे किसी भी व्यक्ति या संस्था (जो सोसाईटीस रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत है) को दावा दायर करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं; या
- भरण—पोषण अधिकरण स्वयं संज्ञान (Suo Moto Cognizance) ले सकता है।

(Suo Moto Cognizance:- अर्थात् वह परिस्थिति जिसमें

न्यायाधीश, बिना किसी पक्ष की प्रार्थना के, न्याय के हित में स्वयं कार्यवाही प्रारम्भ करते हैं।)

11. भरण—पोषण दावा दायर होने के पश्चात्, भरण—पोषण अधिकरण (Tribunal) क्या करता है ?

दावा प्राप्त होने के बाद, अधिकरण संतान पक्ष को नोटिस जारी करेगा, सुनवाई होगी, गवाही होगी व उसके पश्चात्, अधिकरण भरण—पोषण का आदेश पारित कर सकता है। अधिकरण दावे को आपसी समझौते के लिए भी भेज सकता है व भरण—पोषण के अंतरिम आदेश भी पारित कर सकता है।

12. क्या अधिनियम, 2007 व आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 (Code of Criminal Procedure 1973) के अध्याय 9 के तहत एक साथ भरण—पोषण का दावा कर सकते हैं ?

माता—पिता या वरिष्ठ नागरिक, उपरोक्त दोनों अधिनियमों में से किसी भी एक में भरण—पोषण का दावा कर सकते हैं। दोनों अधिनियमों के तहत, एक साथ, भरण—पोषण का दावा नहीं किया जा सकता।

13. क्या भरण—पोषण के आदेश की प्रति, निशुल्क प्राप्त की जा सकती है ?

अधिनियम, 2007 के सैक्शन 11 के तहत, भरण—पोषण आदेश की प्रति वरिष्ठ नागरिक या माता—पिता को निःशुल्क दी जाएगी।

14. क्या भरण—पोषण आदेश के अमल के लिए कोई दण्ड—प्रावधान है ?

अधिकरण द्वारा पारित भरण—पोषण आदेश का प्रभाव, सैक्शन 125, Cr.P.C. 1973, के आदेश के समान होगा। इसमें प्रत्येक महीने के भत्ते के पूरी तरह से या आंशिक रूप से डिफॉल्ट (चूक) के लिए एक महीने तक का कारावास, देय राशि के लिए वारंट जारी करना एवं आदेश के हर उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाना भी शामिल होगा।

15. क्या भरण—पोषण भत्ते की कोई अधिकतम सीमा है ?

राज्य सरकार, भरण—पोषण मासिक भत्ते की अधिकतम सीमा निर्धारित कर सकती है। किसी भी परिस्थिति में भरण—पोषण भत्ते, प्रतिमाह दस हजार रुपये से अधिक नहीं हो सकता।

16. क्या भरण—पोषण अधिकरण, मासिक भत्ते को परिवर्तित या निरस्त कर सकता है ?

भरण—पोषण अधिकरण, मासिक भत्ते को निम्नलिखित परिस्थितियों में परिवर्तित कर सकता है:—

- a. यदि गलत ब्यानी सिद्ध हो जाये; या
- b. यदि कोई तथ्यात्मक भूल सिद्ध हो जाये; या
- c. यह सिद्ध हो जाये कि प्राप्तकर्ता की परिस्थितियों में परिवर्तन हो गया है।

भरण—पोषण अधिकरण, सक्षम दिवानी न्यायालय के आदेश के तहत भी मासिक भत्ते को परिवर्तित या निरस्त कर सकता है।

17. यदि वरिष्ठ नागरिक या माता—पिता, भरण—पोषण अधिकरण के आदेश से असंतुष्ट है, तो क्या वे अपील दायर कर सकते हैं ?

जी हाँ, यदि वरिष्ठ नागरिक या माता—पिता, अधिकरण के आदेश से असंतुष्ट हैं तो वे, 60 दिन के अन्दर अपीलीय अधिकरण (Appellate Tribunal), के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं।

18. अपीलीय अधिकरण को कितने समय में अपील का फैसला करना होगा ?

अधिनियम, 2007 के सैक्शन 16(5) के अनुसार अपीलीय अधिकरण को, अपील प्राप्त होने के 1 माह के भीतर अपील का फैसला करने का प्रयास करना होगा।

19. क्या वरिष्ठ नागरिक का परित्याग करना, एक कानूनी अपराध है?

अधिनियम, 2007 के सैक्शन 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जिस पर वरिष्ठ नागरिक की देखभाल या सुरक्षा का उत्तरदायित्व है, पूर्ण परित्याग के इरादे से, उन्हें किसी स्थान पर छोड़ जाता है, ऐसे व्यक्ति को 3 महीने का कारावास या 5000/- रुपये जुर्माना या दोनों एक साथ दण्ड दिया जाएगा। अपराध संज्ञेय व जमानती है।

20. क्या वरिष्ठ नागरिक, हस्तान्तरित सम्पत्ति को वापस ले सकते हैं?

वरिष्ठ नागरिक, अधिकरण के समक्ष सम्पत्ति के हस्तान्तरण को अमान्य घोषित करने के लिये दावा कर सकते हैं। अधिकरण निम्नलिखित परिस्थितियों में हस्तान्तरण को अमान्य घोषित कर सकता है:—

- a. अधिनियम, 2007 के प्रभावी होने के बाद, यदि किसी वरिष्ठ नागरिक ने उपहार या अन्य माध्यम से सम्पत्ति हस्तान्तरित की हो।
- b. हस्तान्तरण इस शर्त पर किया गया हो कि प्राप्तकर्ता, वरिष्ठ नागरिक की मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा।
- c. प्राप्तकर्ता उपरोक्त आवश्यकताओं को पूर्ण करने से इन्कार कर दे या उन्हें पूरा ना कर पाये।

उदाहरण:—

सोहन 62 वर्ष का है। वह अपने भतीजे सुमित को अपना मकान उपहार के रूप में हस्तान्तरित कर देता है। यह हस्तान्तरण, अधिनियम, 2007 के प्रभावी होने के बाद हुआ है। हस्तान्तरण की शर्त यह है कि सुमित, सोहन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करेगा। परन्तु बाद में सुमित ऐसा नहीं कर पाता या ऐसा करने से इन्कार कर देता है। इन परिस्थितियों में सोहन हस्तान्तरण को अमान्य घोषित करने का दावा, अधिकरण के समक्ष दायर कर सकता है। अधिकरण हस्तान्तरण को अमान्य घोषित कर सकता है व सोहन को उसका मकान वापिस मिल सकता है।

21. अधिनियम 2007 में वरिष्ठ नागरिकों की चिकित्सा—देखभाल के लिये क्या प्रावधान है ?

अधिनियम में प्रावधान है कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि:—

- a. वह वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी हस्पतालों में या सरकारी सहायता प्राप्त हस्पतालों में बैड अधिकाधिक उपलब्ध कराये।
- b. वरिष्ठ नागरिकों के लिये हस्पतालों में अलग कतार हो।
- c. वरिष्ठ नागरिकों के दीर्घकालिक, गम्भीर व अपजनन (Degenerative) रोगों के लिये, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो।
- d. वृद्धावस्था—जन्य स्थाई रोगों की चिकित्सा—प्रणाली में अनुसंधान कार्य बढे।
- e. प्रत्येक जिला हस्पताल में, अनुभवी चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में जराचिकित्सा (Geriatric Care) के लिये विशेष प्रबन्ध हो।

22. क्या वृद्ध निवासों का भी प्रावधान है ?

- अधिनियम, 2007 के तहत राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कम से कम एक वृद्ध निवास की स्थापना करें जिसमें निर्धन वरिष्ठ नागरिक रह सकें।
- ऐसे प्रत्येक वृद्ध—निवास में कम से कम 150 निर्धन वरिष्ठ नागरिकों के निवास का प्रबंध हो।
- राज्य सरकार वृद्ध—निवासों की सुचारू व्यवस्था के लिये नीति बनाये जिसमें सुविधाओं का (मापदण्ड सहित), विशेष प्रावधान हो।

हालसा मुफ्त टोल फ्री कानूनी सहायता नम्बर

1800-180-2057

(समय 9.00 AM से 05.00 तक किसी भी कार्यदिवस पर)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानूनी सहायता नम्बर

(09.30 AM से 1.00 PM और 1.30 PM से 5.00 PM तक किसी भी कार्यदिवस पर)

जिला	दूरभाष नम्बर	जिला	दूरभाष नम्बर
अम्बाला	0171-2532142	कैथल	01746-235759
भिवानी	01664-245933	मेवात(नूह)	01267-271072
चरखी दादरी	01250-223890	नारनौल	01282-250322
फरीदाबाद	0129-2261898	पंचकूला	0172-2585566
फतेहबाद	01667-231174	पानीपत	0180-2640125
गुड़गांव	0124-2221501	पलवल	01275-298003
हिसार	01662-270078	रोहतक	01262-257304
जीन्द	01681-245048	रिवाड़ी	01274-220062
झज्जर	01251-252013	सिरसा	01666-247002
कुरुक्षेत्र	01744-220216	सोनीपत	0130-2220057
करनाल	0184-2266138	यमुना नगर	01732-220840



HARYANA STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

Plot No.9, Sector - 14, Panchkula

Tel./Fax No. : 0172-2562309, Toll Free No.1800-180-2057

Website : www.hslsa.gov.in, E-mail : hslsa@hry.nic.in, hslsa.haryana@gmail.com

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

इन्स्टिटूशनल प्लाट नम्बर 9, सैक्टर-14, पंचकुला

दूरभाष/फैक्स नम्बर 0172-2562309, टोल फ्री नम्बर 1800-180-2057

वैब साईट : www.hslsa.gov.in, ई-मेल : hslsa@chd.nic.in, hslsa.haryana@gmail.com